



निगरानी प्रकरण क्रमांक : /2015

माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर, केम्प-इन्दौर

निग / 3870 - PBR-15

- श्री. 3/15  
का.प्र.  
1/15 का.  
र. का.प्र.  
321  
2/15
1. संतोष पिता मांगीलाल जाट  
उम्र - 34 वर्ष, धंधा - खेती  
निवासी - कानवन तह. बदनावर  
जिला - धार
  2. गोपाल पिता मांगीलाल जाट  
उम्र - 45 वर्ष, धंधा - खेती  
निवासी - कानवन तह. बदनावर  
जिला - धार
  3. जयप्रकाश पिता मांगीलाल जाट  
उम्र - 50 वर्ष, धंधा - खेती  
निवासी - कानवन तह. बदनावर  
जिला - धार

...प्रार्थीगण

विरुद्ध

1. भंवरसिंह पिता बापूसिंह राजपूत  
उम्र - 50 वर्ष, धंधा - खेती
2. सुरेन्द्रसिंह पिता भंवरसिंह राजपूत  
उम्र - 30 वर्ष, धंधा - खेती
3. महेन्द्रसिंह पिता भंवरसिंह राजपूत  
उम्र - 25 वर्ष, धंधा - खेती  
निवासी - कानवन तह. बदनावर  
जिला - धार

...प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता

इसमें प्रार्थी श्रीमान अपर आयुक्त महोदय इन्दौर संभाग इन्दौर द्वारा निगरानी प्रकरण क्रमांक 205/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 18/09/2015 से असंतुष्ट होकर नीचे लिखे आधारों पर निगरानी प्रस्तुत करता है।

21/10/15  
[Signature]

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग. 3870 - पीबीआर/2015 (संतोष विरुद्ध मंवरसिंह) जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-11-2015	<p>आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18-9-2015 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथमदृष्टया विधिसंगत है कि अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत खसरा पांचशाला में प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क्रमांक 319 रकबा 3.604 हेक्टेयर आवेदकगण के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि नहीं होकर श्री. खालसा धर्मादा मंदिर, श्री दुर्गा विनायक मंदिर, गणपति मंदिर, धार के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि होकर प्रबंधक कलेक्टर अंकित है । नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 14-9-2009 को किये स्थल निरीक्षण में भी प्रश्नाधीन भूमियाँ शासकीय पाई गई है । अतः नायब तहसीलदार द्वारा पारित त्रुटिपूर्ण आदेश को निगरानी में निरस्त करने में अपर कलेक्टर द्वारा किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त द्वारा अपील निरस्त करने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन एवं बलहीन होने से इसी स्तर पर अग्राह्य की जाती है ।</p> <p><i>on</i></p> <p>(मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>	